



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21032026-271117
CG-DL-E-21032026-271117

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 68]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 19, 2026/फाल्गुन 28, 1947

No. 68]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 19, 2026/PHALGUNA 28, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2026

मामला संख्या: एडी – (ओआई)-13/2026

(सेतु केस आईडी-एडी/ओआई/014/2026)

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित '1-(3,5,5,6,8,8-हेक्सामेथिल-6,7-डायहाइड्रोनाफथेलेन-2-वाईएल) एथेनोन' के आयातों के संबंध में पाटनरोधी

फा. सं. 6/14/2026- डीजीटीआर — समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इस के बाद 'नियमावली' के रूप में कहा गया है) के अनुसार, केवा फ्रैग्रेस प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसके बाद 'आवेदक' के रूप में भी कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद 'प्राधिकारी' के रूप में कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "1-(3,5,5,6,8,8-हेक्सामेथिल-6,7-डायहाइड्रोनाफथेलेन-2-वाईएल) एथेनोन" (जिसे इसके बाद 'संबद्ध वस्तु' अथवा 'विचाराधीन उत्पाद' अथवा

'पीयूसी' के रूप में कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने के लिए एक आवेदन दायर किया है।

2. आवेदक ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति हो रही है। तदनुसार, आवेदक ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "1-(3,5,5,6,8,8-हेक्सामेथिल-6,7-डायहाइड्रोनाफथेलेन-2-वाईएल) एथेनोन" है, जिसमें 21145-77-7 और 1506-02-, सीएएस नंबर हैं, और विभिन्न ब्रांड नामों के तहत बेचा जाता है, जिसमें टोनालाइड, टोनालिड, मस्कोफिक्स, गैनोलिड, फिक्सोलाइड, एएचटीएन, मस्क एएचएमटी, अल्ट्रामस्क, लैनोलिड, मस्क टेट्रालिन, डर्नालाइड, मिथाइल नोनिल एसिटोफेनोन, केवोलिड, टेंटारोम, टेट्रालाइड शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। उत्पाद का रासायनिक सूत्र C18H26O है। उत्पाद का आणविक भार 258.40 ग्राम/मोल है। यह एक सिंथेटिक पॉलीसाइक्लिक कस्तूरी यौगिक है, जिसे रासायनिक रूप से टेट्रालिन कीटोन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
4. विचाराधीन उत्पाद का उपयोग मुख्य रूप से 'बेस नोट फिक्सेटिव' (सुगंध को टिकाऊ बनाने वाले तत्व) और 'वॉल्यूम बढ़ाने वाले' (सुगंध की तीव्रता बढ़ाने वाले) के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग मर्दाना खुशबू (परफ्यूम), पाउडर जैसे कस्तूरी आधारित मिश्रणों, अन्य पीसीएम या नाइट्रोमस्क के साथ लेयरिंग करने में और कपड़ों को मुलायम बनाने वाले (फैब्रिक सॉफ्टनर), डियोडेंट तथा साबुन जैसे कार्यात्मक सुगंधित उत्पादों में किया जाता है।
5. विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के तहत शीर्ष 2914 3990 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
6. वर्तमान अवस्था में आवेदक ने किसी भी पीसीएम पद्धति का प्रस्ताव नहीं दिया है। वर्तमान जांच में भाग लेने वाले पक्षकार विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं और पीसीएम (स्पष्टीकरण सहित), यदि कोई हो तो इस जांच की शुरुआत की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर प्रस्तावित कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

7. आवेदक ने यह दावा किया है कि संबद्ध वस्तुएं, जो संबद्ध देश से निर्यात की गई हैं, वे आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान हैं। आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं के तकनीकी विनिर्देशों, भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, निर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन तथा शुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में, संबद्ध देश से आयात की गई संबद्ध वस्तुओं से तुलनीय विशेषताएं हैं। दोनों ही तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। अतः, वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजन के लिए, आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं के 'समान वस्तु' के रूप में माना जा रहा है।

ग. घरेलू उद्योग और आधार

8. यह आवेदन केवा फ्रेंग्रेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने यह दावा किया है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं का कोई अन्य घरेलू उत्पादक नहीं है और आवेदक भारत में समान वस्तु का 100% उत्पादन करता है।
9. आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि जांच की अवधि के दौरान वह संबद्ध देश के किसी भी निर्यातक या संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातक से संबंधित नहीं था। जबकि आवेदक का चीन जन. गण. में एक संबद्ध उत्पादक है, उक्त उत्पादक ने जांच की अवधि से पहले निर्माण और बिक्री गतिविधियां बंद कर दी थीं।
10. इसके अलावा, आवेदक ने यह प्रस्तुत किया है कि उसने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया। आवेदक ने स्पष्ट किया है कि उसने जांच की अवधि से पहले केवल बहुत ही कम मात्रा में संबद्ध वस्तु का आयात किया था। हालांकि, ऐसे आयात असंबद्ध देशों से किए गए थे और या तो ग्राहक द्वारा अस्वीकृति के कारण स्वयं-निर्मित सामग्री का पुनः आयात थे, या स्टॉक निकासी के लिए संबद्ध पक्षों से आयात थे।

11. उपरोक्त को देखते हुए, यह नोट किया जाता है कि आवेदक का हिस्सा भारत में कुल भारतीय उत्पादन का 100% है। इस प्रकार, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदक कुल घरेलू उत्पादन में एक प्रमुख हिस्सेदार हैं और नियम 2(ख) के संदर्भ से घरेलू उद्योग का गठन करते हैं और आवेदन नियम 5(3) के संदर्भ में स्थिति के मानदंड को पूरा करता है।

घ. संबद्ध देश

12. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन. गण. है।

ङ. जांच की अवधि (पीओआई)

13. वर्तमान जांच के लिए विचार की गई जांच की अवधि 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 (12 माह) है। क्षति विश्लेषण की अवधि में जांच की अवधि और तीन विगत वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात्, 1 अप्रैल 2022 – 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 – 31 मार्च 2024 और 1 अप्रैल 2024 – 31 मार्च 2025 और जांच की अवधि शामिल होगी।

च. कथित पाटन का आधार

सामान्य मूल्य

14. आवेदक ने यह दावा किया है कि चीन जन, गण, को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और चीन जन, गण, के उत्पादकों को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे यह प्रदर्शित करें कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति मौजूद है। जब तक कि चीन के उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति मौजूद है, उनके सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार किया जाना चाहिए।

15. वर्तमान जांच शुरुआत करने के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना है और किसी अन्य आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड में जानकारी न होने की स्थिति में चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य को भारत में देय मूल्य के आधार पर निर्धारित किया है। सामान्य मूल्य आवेदक की उत्पादन लागत के आधार पर तैयार किया गया है, जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों के लिए उचित लाभ के साथ समायोजित किया गया है।

निर्यात कीमत

16. संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत का निर्धारण संबद्ध वस्तुओं की सीआईएफ कीमत को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जैसा कि डीजीसीआईएंडएस के लेनदेन-वार डेटा में सूचित किया गया है। समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, बैंक शुल्क, बंदरगाह खर्च, आंतरिक माल भाड़ा, क्रेडिट लागत, कमीशन और सूची रखरखाव लागत को देखते हुए मूल्य समायोजन किए गए हैं ताकि कारखाना बाह्य निर्यात कीमत पर पहुंचा जा सके।

पाटन मार्जिन

17. संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना बाह्य मूल्य स्तर पर तुलना की गई है, जो प्रथम दृष्टया यह दिखाता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम के स्तर से ऊपर है और संबद्ध देश से निर्यातित उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण है। अतः इस बात के लिए प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा संबद्ध देश के उत्पाद का भारतीय बाजार में पाटन किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध

18. घरेलू उद्योग को हुए नुकसान के आकलन के लिए आवेदक द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर विचार किया गया है। आवेदक ने प्राथमिक प्रमाण प्रदान किए हैं जो यह स्थापित करते हैं कि संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचाया है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का अत्यधिक पाटन हो रहा है। यह दावा किया गया है कि घरेलू उद्योग की पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद, आयात की मात्रा अवधि के दौरान, गणनीय और सापेक्ष दोनों रूपों में बढ़ी है। घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा कम हुआ जबकि आयातों का बढ़ा। संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों से काफी कम हैं और घरेलू कीमतों का ह्रास और न्यूनीकरण हुआ है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को अपने माल को लागत से नीचे बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान और नकदी हानि हुई। घरेलू उद्योग ने अपनी लगाए गए पूंजी पर नकारात्मक आय दर्ज की। उत्पादन और बिक्री में वृद्धि होने के बावजूद, घरेलू उद्योग की क्षमताओं का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया, जबकि इसे भंडारण के संचय का सामना करना पड़ा है।

19. इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।
- ज. **पाटनरोधी जांच की शुरुआत**
20. घरेलू उद्योग द्वारा और उसकी ओर से प्रस्तुत पूरी तरह से प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर और आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्ट्या साक्ष्यों के आधार पर संतुष्ट हो जाने के बाद, जो कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन की पुष्टि करते हैं, घरेलू उद्योग को हुई क्षति और ऐसे पाटन व क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को प्रमाणित करते हैं और अधिनियम की धारा 9क के साथ पठित नियमावली के नियम 5 के अनुसार, प्राधिकारी यह घोषणा करते हैं कि वह एक जांच की शुरुआत करते हैं ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संदर्भ में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव क्या है और उचित पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जा सके, जिसे यदि लगाया जाता है तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।
- झ. **प्रक्रिया**
21. इस जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में यथाउल्लिखित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।
- ब. **सूचना की प्रस्तुति**
22. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकारों के साथ सभी पत्राचार और अनुरोध उनके पंजीकृत नाम और संबंधित सेतु केस आईडी-एडी/ओआई/014/2026 के तहत सेतु पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग सर्वयोग्य पीडीएफ/ एमएस-वर्ड प्रारूप में हो और डेटा फ़ाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हों।
23. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों संबद्ध देश की सरकार को भारत स्थित उसके दूतावास के माध्यम से, और भारत में उत्पाद से संबद्ध ज्ञात आयातकों और उपयोगकर्ताओं को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी संबंधित जानकारी प्रस्तुत कर सकें। इस तरह की समस्त जानकारी इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों, और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना में उल्लिखित रूप में और तरीके के अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए।
24. कोई भी अन्य हितबद्ध पक्षकार वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी अनुरोध इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित रूप में और निर्धारित तरीके से इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।
25. किसी भी पक्षकार द्वारा प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध प्रस्तुत किए जाने पर यह आवश्यक है कि वही पक्षकार उसकी अगोपनीय प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए उपलब्ध कराए।
26. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर नियमित रूप से दृष्टि रखें और इस संबद्ध जांच में आगे की कार्रवाई से अवगत रहें और समय-समय पर जारी की जाने वाली प्रश्नावली के स्वरूप, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/ बैठक की अनुसूची, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र सूचना, संशोधन की अधिसूचना और अन्य इसी प्रकार की जानकारी के बारे में अवगत रहें।
- ट. **समय सीमा**
27. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी उनके पंजीकृत नाम और संबंधित मामले की सेतु केस आईडी-एडी/ओआई/014/2026 के तहत सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक अनुरोध के दोनों पाठों, गोपनीय पाठ (सीवी) और अगोपनीय पाठ (एनसीवी), को निर्दिष्ट कॉलम में अपलोड किया जाना आवश्यक है और यह अपलोड उस तारीख से 37 दिनों के भीतर करना होगा जब घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए गए आवेदन का अगोपनीय पाठ प्राधिकारी द्वारा प्रसारित किया जाएगा या नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त रणनीतिक प्रतिनिधि को भेजा जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त जानकारी अधूरी होती है, तो प्राधिकारी उपलब्ध रिकॉर्ड और नियमों के अनुसार तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

28. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे तत्काल मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) के संबंध में सूचित करें और इस सूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपना प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत करें।
29. पीयूसी/ पीसीएन पद्धति के दायरे पर टिप्पणियां दर्ज करने की 15-दिवस की अवधि इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।
30. पीयूसी/ पीसीएन में संशोधन किए जाने के कारण विस्तार: यदि प्राधिकारी द्वारा बाद में जारी सूचना के माध्यम से पीयूसी और पीसीएन में संशोधन किया जाता है, जो पहले प्रस्तावित नहीं था या जांच शुरुआत अधिसूचना से भिन्न है, तो 15 दिनों का समय विस्तार प्रदान किया जाएगा। यह 15 दिनों का समय विस्तार संशोधित पीयूसी और पीसीएन की अधिसूचना की तारीख से प्रदान किया जाएगा। इस पैरा में उल्लिखित 15 दिन का समय विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां पर जांच शुरुआत होने के बाद पीयूसी और पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 15-दिन के समय विस्तार के बाद (यदि प्रदान किया गया है), आगे समय विस्तार करने के लिए अनुरोध पर, नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा।
31. किसी भी समय विस्तार के लिए अनुरोध संबद्ध पक्षकार द्वारा सेतु पोर्टल के माध्यम से ऊपर पैरा 25 में निर्दिष्ट मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय के बाद प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुति

32. जहां वर्तमान जांच का कोई पक्षकार गोपनीय अनुरोध करता है या प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करता है, तो ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के संदर्भ में और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचना के अनुसार ऐसी जानकारी का एक अगोपनीय पाठ एक साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपरोक्त का पालन करने में विफलता के कारण उत्तर/ अनुरोधों को अस्वीकार किया जा सकता है।
33. प्रश्नावली के उत्तरों सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई भी अनुरोध (परिशिष्ट/ अनुलग्नक सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय पाठ अलग-अलग दाखिल करने की आवश्यकता होती है।
34. ऐसे अनुरोधों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' के रूप में अंकित किया जाना चाहिए। किसी भी अनुरोध को जो इस प्रकार के अंकन के बिना प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया है, प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय' जानकारी के रूप में माना जाएगा, और प्राधिकारी को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वह अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति प्रदान करें।
35. गोपनीय पाठ में सभी जानकारी शामिल होगी जो गोपनीय प्रकृति की है, और/ या अन्य जानकारी जो उस जानकारी के प्रदाता द्वारा गोपनीय बताई जाती है। ऐसी जानकारी जो गोपनीय प्रकृति की बताई जाती है, या ऐसी जानकारी जिसके बारे में अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया गया है, उस जानकारी के प्रदाता को वह जानकारी प्रस्तुत करते समय एक उचित कारण का विवरण भी प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी जानकारी क्यों प्रकट नहीं की जा सकती।
36. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दाखिल की गई जानकारी का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की एक प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय जानकारी को वरीयता के साथ सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ा जाए (जहाँ सूचीबद्ध करना संभव न हो) और ऐसी जानकारी का उचित और पर्याप्त सारांश दिया जाना चाहिए, जो इस बात पर निर्भर करता है कि किस जानकारी पर गोपनीयता का दावा किया गया है।
37. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तार में होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रदान की गई जानकारी की सामग्री को उचित रूप से समझा जा सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत कर सकता है कि ऐसी जानकारी का सारांश तैयार करना संभव नहीं है और कारणों का ऐसा विवरण प्रदान करना आवश्यक है जिसमें यह स्पष्ट और पर्याप्त रूप से समझाया गया हो कि ऐसा सारांश तैयार करना क्यों संभव नहीं है, और यह विवरण प्राधिकारी के लिए संतोषजनक होना चाहिए।
38. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ के प्रसार की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता से संबंधित मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।
39. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई जानकारी की प्रकृति की परीक्षा पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है या यदि जानकारी का प्रदाता

जानकारी को सार्वजनिक करने या इसके विशिष्ट या सारांश रूप में प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो यह ऐसी जानकारी की अनदेखी कर सकता है।

40. किसी भी अनुरोध को, जिसमें इसका कोई सार्थक अगोपनीय पाठ नहीं है या जिसमें नियमावली के नियम 7 के अनुसार पर्याप्त और उचित कारण का विवरण नहीं है, और प्राधिकारी द्वारा जारी की गई उचित व्यापार सूचना को, गोपनीयता के दावे पर, प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

ड. सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण

41. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से सुलभ होंगे।

ढ. असहयोग

42. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई उचित अवधि के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणामों को दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को ऐसी यथाउपयुक्त सिफारिशें कर सकते हैं।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Trade Remedies)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2026

Case No. AD (OI)-13/2026

SETU case ID-AD/OI/014/2026

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of “1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl) ethenone” originating in or exported from China PR.

F. No. 6/14/2026-DGTR - Keva Fragrances Private Limited (hereinafter also referred to as the ‘applicant’) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the ‘Authority’), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Rules’), for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of “1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl) ethenone” (hereinafter referred to as “subject goods” or “product under consideration” or “PUC”), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as “subject country”).

2. The applicant has alleged that material injury is being caused to the domestic industry due to the dumped imports of the product under consideration from the subject country. Accordingly, the applicant has requested for imposition of anti-dumping duty into imports of the subject goods from the subject country.

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

3. The product under consideration in the present investigation is “1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl) ethenone”, having CAS numbers of 21145-77-7 and 1506-02-, and sold under various brand names including, but not limited to, Tonalide, Tonalid, Muscofix, Ganolid, Fixolide, AHTN, Musk AHMT, Ultramusk, Lanolid, Musk Tetralin, Dernalide, Methyl Nonyl Acetophenone, Kevolid, Tentarome, Tetralide. The chemical formula for the product is C₁₈H₂₆O. The molecular weight of the product is 258.40 g/mol. It is a synthetic polycyclic musk compound, chemically classified as a tetralin ketone.
4. The product under consideration is primarily used as a base note fixative and volume enhancer. It is used in masculine fragrances, powdery-musked base blends, layering with other PCM’s or nitromusks and functional perfumery like fabric softeners, deodorants and soaps.

5. The production under consideration is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 under heading 2914 3990. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.
6. The applicant has not proposed any PCN methodology at the present stage. The parties to the present investigation may provide their comments on the scope of the product under consideration and propose PCNs (with justification), if any, within thirty (30) days from the date of initiation of this investigation.

B. LIKE ARTICLE

7. The applicant has claimed that the subject goods exported from the subject country are identical to the goods produced by the applicant. The subject goods produced by the applicant has comparable characteristics to the subject goods imported from the subject country in terms of technical specifications, physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, pricing, distribution & marketing and tariff classification. The two are technically and commercially substitutable. Therefore, for the purpose of initiation of the present investigation, the subject goods produced by the applicant are being treated as 'like article' to the subject goods originating in or exported from the subject country.

C. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

8. The application has been filed by Keva Fragrances Private Limited. The applicant has claimed that there is no other domestic producer of subject goods in India and the applicant accounts for 100% of the production of like article in India.
9. The applicant has submitted that it was not related to any exporter of subject goods from the subject country or importer of subject goods during the period of investigation. While the applicant has a related producer in the subject country, the producer has ceased manufacturing and sales operations prior to the period of investigation.
10. Further, the applicant has submitted that it has not imported the subject goods during the period of investigation. The applicant has clarified that it imported very small quantities of subject goods prior to the period of investigation. However, such imports were made from non-subject countries and were either re-imports of self-produced material due to rejection by customer, or imports from related parties for stock clearance.
11. In view of the above, it is noted that the applicant accounts for 100% of the total Indian production in India. Thus, the Authority notes that the applicant account for a major proportion of the total domestic production and constitute domestic industry in terms of Rule 2(b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

D. SUBJECT COUNTRY

12. The subject country in the present investigation is China PR.

E. PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

13. The period of investigation considered for the period of present investigation is 1st October 2024 to 30th September 2025 (12 months). The injury analysis period shall cover the period of investigation and the three preceding financial years, that is, 1st April 2022 – 31st March 2023, 1st April 2023 – 31st March 2024 and 1st April 2024 – 31st March 2025 and the period of investigation.

F. BASIS OF ALLEGED DUMPING

Normal Value

14. The applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the producers from China PR should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry with regard to production and sales of the subject goods. Unless the Chinese producers show that market economy conditions prevail, their normal value should be determined in terms of Paragraph 7 of Annexure-I to the Rules.
15. For the purpose of the present initiation, the Authority has considered China PR to be a non-market economy and determined normal value for China PR based on price payable in India, in absence of information on record for determining normal value on any other basis. The normal value has been constructed based on cost

of production of the applicant, duly adjusted for selling, general and administrative expenses, with reasonable profit.

Export Price

16. The export price of the subject goods has been determined by considering the CIF price of the subject goods, as reported in the DGCI&S transaction-wise data. Price adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, bank charges, port expenses, credit cost, and commission to arrive at ex-factory export price

Dumping Margin

17. The normal value and the export price of the subject goods have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* shows that the dumping margin is above the de-minimis level and is significant with respect to the product under consideration exported from the subject country. Thus, there is *prima facie* evidence that the product under consideration from the subject country is being dumped in the Indian market by the exporters from the subject country.

G. INJURY AND CAUSAL LINK

18. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has furnished *prima facie* evidence establishing that the subject imports have caused injury to the domestic industry. There is significant dumping of the subject goods from the subject country. It has been claimed that the volume of imports increased over the period, in both absolute and relative terms, despite significant capacities with the domestic industry. The market share of the domestic industry reduced while that of the imports increased. The subject imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry and had depressed the domestic prices. As a result, the domestic industry was forced to sell its goods below its costs, resulting in significant financial losses and cash losses to the domestic industry. The domestic industry recorded negative returns on its capital employed. Despite increased production and sales, the capacities of the domestic industry were underutilized, while it has faced accumulation of inventories.
19. There is sufficient *prima facie* evidence that injury is being caused to the domestic industry by the dumped imports from the subject country.

H. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION

20. On the basis of the duly substantiated written application submitted by and on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the applicant, substantiating dumping of product under consideration originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and a causal link between such dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree, and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from the subject country and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. PROCEDURE

21. The provisions stipulated in Rule 6 of the Anti-Dumping Rules shall be followed in this investigation.

J. SUBMISSION OF INFORMATION

22. All the interested parties are required to register themselves on SETU Portal (<https://setu.dgtr.gov.in>). All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their registered name and corresponding case SETU case ID-AD/OI/014/2026. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
23. The known producers/exporters in the subject country, the government of subject country through its Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the product under consideration are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
24. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.
25. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

26. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Directorate General of Trade Remedies at www.dgtr.gov.in and SETU portal (<https://setu.dgtr.gov.in>) for any updated information with respect to this investigation and to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussion/meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications, and other such information.

K. TIME LIMIT

27. Any information relating to the present investigation should be uploaded on the SETU portal (<https://setu.dgtr.gov.in>) under their registered name and SETU case ID-AD/OI/014/2026. Both versions of each submission, the confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated columns within 37 days from the date on which the nonconfidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules.
28. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification through SETU portal only.
29. The 15-day period to file comments on the scope of the PUC/ PCN Methodology shall run concurrently with the time limit mentioned in this Initiation Notification.
30. Extension due to Modification of PUC/PCN: An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through a subsequent notice, modifies the PUC and PCN that was not previously proposed or is different from the initiation notification. This extension of 15 days shall be granted from date of such notification of modified PUC and PCN. Extension of time by 15 days stated in this paragraph is not applicable in instances where there is no change in the PUC and PCN methodology after initiation of investigation. Requests for a further extension of time, beyond the 15-day extension (if granted), will ordinarily not be considered except in case of exceptional circumstances, in line with the Rule 6(4) of the Rules.
31. Any request for an extension must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least one day before the original deadline specified above. Requests submitted after this time will not be considered.

L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

32. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
33. The parties making any submission (including Appendices/ Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire responses, are required to file confidential and non-confidential versions separately.
34. Such submissions must be clearly marked as 'confidential' or 'non-confidential' at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as 'non-confidential' information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
35. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
36. The non-confidential version of the information filed by the interested parties is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
37. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary,

and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

38. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.
39. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
40. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

M. INSPECTION OF PUBLIC FILE

41. All non-confidential versions of submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU portal.

N. NON-COOPERATION

42. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

AMITABH KUMAR, Designated Authority